HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1102/2026

1. Rampuri Adiwasi W/o Jugru Adiwasi, Aged About 30 Years,
2. Nilam Adiwasi D/o Jugru Adiwasi, Aged About 10 Years,
3. Chanda Adiwasi D/o Jugru Adiwasi, Aged About 9 Years,
4. Dipak Adiwasi S/o Jugru Adiwasi, Aged About 8 Years,
5. Chandni Adiwasi D/o Jugru Adiwasi, Aged About 6 Years, Claimant No. 2 to 5 are minor through guardian mother Rampuri Adiwasi.
6. Bhamri Adiwasi W/o Nirpat Adiwasi, Aged About 68 Years,
7. Nirpat Adiwasi S/o Bhamra, Aged About 69 Years,
   All above are R/o Lakheri, Tehsil Pohri, District Shivpuri, Madhya Pradesh.

----Appellants/Claimants

Versus

1. Dharamraj Jangid S/o Jagdish Jangid, R/o Khandar, Tehsil Khandar, District Sawai Madhopur.
   (Registered Owner of Vehicle Pickup No. RJ-25-GA-4405)
2. Raheja QBE General Insurance Company Limited, Office 3rd Floor 312, Corporate Park, Ajmer Road, Gopal Badi, Jaipur. (Insurer of Pickup No. RJ-25-GA-4405)
3. Hansraj S/o Phoolchand Gurjar, R/o Kanwarpura, Thana Indragarh, District Bundi.
   (Driver of Vehicle Pickup No. RJ-25-GA-4405)

----Respondents/Non-Claimants

For Appellant(s)	:	Mr. Praveen Kumar Jain, Adv. with Mr. Avinash Dhanju, Adv. Mr. Kamlesh Kaswan, Adv. & Ms. Sunita Choudhary, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Virendra Agrawal, Adv. with Ms. Anjali Assat, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

07/05/2026

1. अपीलार्थीगण रामपुरी व अन्य की ओर से यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सवाई माधोपुर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या– 74/2025, रामपुरी वगैरा बनाम धर्मराज जांगिड़ में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, जुगरू की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 1,85,00,000/– रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में अपीलार्थीगण को कुल 19,78,030/– रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिलवाई गयी है। उक्त आदेश से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक को वक्त घटना अकुशल श्रमिक मानते हुए उसकी आय 26 दिनों के आधार पर 7,410/– रूपये मासिक निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की है, जबकि वक्त घटना मृतक मजदूरी का कार्य कर 25,000/– रूपये मासिक आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यन्त कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित कर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता बीमा कंपनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 17.12.2024 की बताई गयी है तथा क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 30 वर्ष की आयु का होना बताते हुए मजदूरी का कार्य कर 25,000/– रूपये मासिक आय अर्जित करना बताया गया है। किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक को वक्त घटना अकुशल श्रमिक होना मानते हुए मृतक की आय वर्ष 2023 की न्यूनतम मजदूरी के आधार पर 7,410/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। मामले की घटना दिनांक 17.12.2024 की होना जाहिर है। चूंकि वर्ष 2024 में राजस्थान राज्य में न्यूनतम मजदूरी की दरें पुनरीक्षित नहीं की गई है तथा उक्त दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय दुर्घटना दिनांक 17.12.2024 को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की दैनिक आय 300/– रूपये प्रतिदिन अर्थात 9,000/– रूपये मासिक निर्धारित किया जाना उचित समझती है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित मासिक आय में भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी 40 प्रतिशत की गई है, जो उचित है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक की आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **नेशनल ईंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्यः** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त निर्धारित मासिक आय 9,000/– रुपये पर 40 प्रतिशत अर्थात 3,600/– रूपये की भविष्य–वृद्धि किये जाने के उपरांत मृतक की कुल मासिक आय 12,600/– रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

7. विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक पर सात आश्रित माने जाकर मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के पेटे 1/5 भाग की कटौती की गई है, जो उचित है। 12,600/– रुपये का 1/5 भाग 2,520/– रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 10,080/– रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 30 वर्ष होना जाहिर है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रासंपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्यः (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते

हुए 17 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपने निर्णय में 17 के गुणक का प्रयोग किया गया है, जो उचित है। तद्नुसार मृतक की निर्धारित मासिक आय 10,080/- रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति 10,080 x 12 x 17 = 20,56,320/- रुपये होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

8. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 7 प्रत्येक को कंसोर्टियम की मद में 40,000/- रूपये, कुल 2,80,000/- रूपये की राशि दिलवायी गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/- रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

9. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार मृतक के आश्रितगण को कंसोर्टियम की मद में, अंतिम संस्कार व सम्पदा की हानि के मद में दी जाने वाली निर्धारित राशि में प्रत्येक 03 वर्ष में 10 प्रतिशत राशि की बढ़ोतरी किये जाने का आदेश दिया गया है। इसलिए इस मामले में भी उक्त मदों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर अपीलार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जावे।

10. मामले की घटना दिनांक 17.12.2024 की होना जाहिर है। ऐसी स्थिति यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 7 प्रत्येक को कंसोर्टियम की मद में 48,000/- रूपये, कुल 3,36,000/- रूपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझती हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 15,000/- रुपये तथा सम्पदा की हानि की मद में 15,000/- रूपये की

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

राशि दिलवाई गई है। अतः अंतिम संस्कार तथा सम्पदा की हानि की मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 18,000–18,000/– रुपये, कुल 36,000/– रूपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	20,56,320/– रुपये
2.	कंसोर्टियम के मद में	3,36,000/– रुपये
3.	अंतिम संस्कार के मद में	18,000/– रुपये
4.	सम्पदा की हानि के मद में	18,000/– रुपये
5.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि	24,28,320/– रुपये
6.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	19,78,030/– रुपये
7.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	4,50,290/– रुपये

13. तदनुसार अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को 19,78,030/– रूपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 24,28,320/– रूपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

14. इस निर्णय द्वारा बढाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

15. तद्नुसार उपरोक्त अपील निस्तारित की जाती है।

16. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

Badal /93s